

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 18.06.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 95/2025

GCMS NO :- 2025/188

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


उनवान :- बलबीर सिंह बनाम राज0 सरकार


:-आदेश:-

दिनांक : 18.06.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का कुहाडवास की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नानवास की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 200 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नानवास	खाता संख्या 200	सूर्या पत्नी नानू उर्फ नानडराम	सुदी देवी पत्नी नानू उर्फ नानडराम




उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/2025/S21

दिनांक :- 18/6/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. बलबीर पुत्र नानू उर्फ नानडराम जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



विस्तृत निगम पृथक से लिखा जाना